भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4065

17.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

फेम-।। और पीएम ई-ड्राइव योजनाएँ

4065. श्री मनीष जायसवाल:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री बिभु प्रसाद तराई:
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र के पालघर जिले में फेम-।। और पीएम ई-ड्राइव योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदत्त इलेक्ट्रिक वाहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) फेम-।। और पीएम ई-ड्राइव के तहत स्वीकृत और चलाई गई ई-बसों की संख्या राज्य और शहर-वार कितनी है;

(ग) उक्त योजनाओं के तहत जिलों/शहरों के चयन के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं और क्या इसमें टियर-2 एवं टियर-3 शहरों को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पीएलआई-ऑटो योजना के तहत अनुमोदित आवेदकों और निवेश प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारत में निर्धारित समय-सीमा के भीतर न्यूनतम घरेलू मूल्य संवर्द्धन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना के रोडमैप का ब्यौरा क्या है;

(च) ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों द्वारा पीएम ई-ड्राइव के तहत आवंटित निधियों के उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार महाराष्ट्र के पालघर जैसे जनजातीय बहुल जिलों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना बना रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): फेम-॥ स्कीम और पीएम ई-ड्राइव स्कीम, दोनों के ही अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में मांग प्रोत्साहन/सब्सिडी प्रदान की गई है।

फेम-II स्कीम के तहत अब तक कुल 16,16,215 इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया गया है, जिनमें से पालघर जिले में 6,122 इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत, 12.03.2026 तक कुल 18,01,307 इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया गया है, जिनमें से 01.04.2024 से 12.03.2026 की अवधि के दौरान पालघर जिले में 1,314 इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता दी गई है।

(ख) से (ग): फेम-II स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए शहरों का चयन भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 4 जून, 2019 को जारी की गई एक प्रतिस्पर्धी अभिरुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से किया गया था। चयन मानदंड, अन्य बातों के साथ साथ अन्तःशहरी परिचालन, अंतरशहरी मार्गों और अंतिम प्रयोक्ता तक पहुँच (लास्ट माइल कनेक्टिविटी) के माध्यम से वाहन उत्सर्जन को कम करने के लिए सार्वजनिक और साझा परिवहन प्रणाली विद्युतीकरण पर केंद्रित थे।

फेम-II स्कीम के तहत कुल 6,862 ई-बसों को मंजूरी दी गई है। तैनात की गई ई-बसों का राज्य-वार और शहर-वार विवरण **अनलग्नक-I** में दिया गया है।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत, चालीस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नौ शहरों, नामतः मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत और पुणे में 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए सहायता उपलब्ध है। 10.03.2026 तक, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 13,800 ई-बसें आवंटित की जा चुकी हैं:

क्र.सं.	शहर का नाम	पीएम ई ड्राइव-स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत आवंटन (संख्या)		
		चरण I	चरण II	कुल
1	बेंगलुरु	4,500	-	4,500
2	दिल्ली	2,800	-	2,800
3	हैदराबाद	2,000	200	2,200
4	मुंबई	-	1,500	1,500
5	अहमदाबाद	1,000	200	1,200
6	पुणे	0	1,000	1,000
7	सूरत	600	-	600
	कुल	10,900	2,900	13,800

स्कीम के अंतर्गत चेन्नई और कोलकाता से कोई प्रस्ताव/मांग प्राप्त नहीं हुआ था। चरण-I (10,900 ई-बसों) के लिए निविदा संपन्न हो चुकी है और चरण-II (2,900 ई- बसों) के लिए निविदा जारी कर दी गई है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद, रियायत समझौते पर हस्ताक्षर होने और विनिर्माताओं द्वारा बसों की आपूर्ति किए जाने पर संबंधित राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) द्वारा बसों की तैनाती की जाती है। 12.03.2026 तक, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत कोई भी ई-बस तैनात नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त, 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 'पीएम ई-बस सेवा स्कीम' के तहत टीयर-2 और टीयर-3 शहरों को कवर किया जा रहा है।

(घ:(12.03.2026 तक, पीएलआई ऑटो स्कीम के तहत 71 स्वीकृत आवेदक हैं। 31.12.2025 तक इस स्कीम के अंतर्गत 39,081 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(ङ:(एसपीएमईपीसीआई स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वीकृत आवेदकों के लिए अपने संयंत्रों में विनिर्मित इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहनों हेतु तीसरे वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25% और पांचवें वर्ष के अंत तक 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना अनिवार्य है।

(च:(पीएम ई ड्राइव-स्कीम के अंतर्गत, अखिल भारतीय स्तर पर शहरों में और राजमार्गों पर ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को सहायता प्रदान करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ईवी" सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की तैनाती के लिए "(ईवीपीसीएस) प्रचालन संबंधी दिशानिर्देश 26.09.2025 को जारी किए गए थे। 11.03.2026 तक, इस घटक के तहत कोई व्यय नहीं किया गया है।

(छ:(फेम-II स्कीम और पीएम ई ड्राइव-स्कीम मांग आधारित-स्कीमें हैं जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित की जा रही हैं, और इसलिए इनका लाभ पालघर जिले जैसे जनजातीय बहुल जिलों सहित सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है।

****

अनुलग्नक I

31.01.2026 की स्थिति के अनुसार फेम-II स्कीम के अंतर्गत तैनात की गई ई-बसों का राज्य-वार और शहर-वार विवरण

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**शहर**	**तैनात की गई ई-बसों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	100
2	बिहार	पटना	25
3	चंडीगढ़	चंडीगढ़ और डेरा बस्सी	80
4	दादरा एवं नगर हवेली	सिल्वासा	25
5	दिल्ली	दिल्ली	1321
6	गोवा	गोवा	123
7	गुजरात	अहमदाबाद	200
		राजकोट	150
		सूरत	300
8	जम्मू कश्मीर	जम्मू	100
		श्रीनगर	100
9	कर्णाटक	बेंगलुरु	1121
10	महाराष्ट्र	मुंबई	367
		नागपुर	40
		पुणे	273
		ठाणे और उल्हासनगर और नवी मुंबई और बदलापुर	150
11	ओडिशा	भुवनेश्वर	50
12	उत्तर प्रदेश	आगरा	100
		अलीगढ	25
		इलाहाबाद	50
		बरेली	25
		गाजियाबाद	50
		झांसी	25
		कानपुर	100
		लखनऊ	100
		मेरठ	50
		मुरादाबाद	25
		वाराणसी	50
13	उत्तराखंड	देहरादून	30
14	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	40
		कुल	**5,195**